कार्यालय वन वृत्त छतरपुर (मध्यप्रदेश)

सागर रोड, छतरपुर (म.प्र.) 471001

07682-242107 (O.), 242870 (R.), 242107 (Fax) E-mail: cfchtpur@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2015/ 1579 छतरपुर, दिनांक/ 12-6-2015

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उत्तर पन्ना

विषय :– पन्ना जिले के अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के निमार्ण हेतु 426.763 हेक. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :– कार्यालय प्र.मु.व.सं. (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र. /एफ–3/45/2014/10–11/5/1531 दिनांक 28.05.2015

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र जिसकी प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा प्रकरण में पाई गई कमियों/त्रुटियों की पूर्ति उपरांत प्रस्ताव भेजने हेतु लेख किया गया है। अतः लेख है कि पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु मूलतः प्रस्ताव चार प्रतियों में संलग्न है। कृपया पूर्ण पूर्ति उपरांत प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

11/6/15

मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक
छतरपुर वृत्त, छतरपुर

11/6/15

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28-5-2015

क्रमांक/एफ–3/45/2014/10–11/5/1531

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
छतरपुर वृत्त छतरपुर
मध्यप्रदेश।

विषयः–पन्ना जिले के अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 426.763 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2015/775 दिनांक 12.05.2015

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव में पाई गई कमियां निम्नानुसार हैः–

1. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गई है।
2. प्रस्तावित योजना के निर्माण में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हाने का तहसीलदार/कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
3. प्राप्त प्रस्ताव अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र प्रभावित होने के संबंध में तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनतम तीन ऐसे वैकल्पिक परीक्षणों का उपयुक्त स्केल के नक्शें पर दर्शाते हुये उनकी परीक्षणात्मक टीप संलग्न कर विकल्प क्रमांक–1, विकल्प क्रमांक–2 एवं विकल्प क्रमांक–3 को पृथक–पृथक रंग से दर्शाकर उपयुक्त/अनउपयुक्त होने बावत् लेख करे, कि विकल्प क्रमांक उपयुक्त पाया गया।
4. व्यवस्थापन प्लान (यदि लागू हो तो अन्यथा लागू न होने का प्रमाण पत्र) का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।
5. आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही पूर्ण होने के संबंध में केवल कलेक्टर, पन्ना का प्रमाण पत्र, ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति, उपखण्डस्तरीय वन अधिकार समिति एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की कार्यवाही पूर्ण होने के संबंध में कार्यवाही विवरण, ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों की हस्ताक्षरयुक्त पंजी प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गई है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 की कार्यवाही पूर्ण होने के संबंध में समस्त अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
6. प्रभावित वन भूमि के नेट प्रजेंट वैल्यू भुगतान हेतु वचन पत्र एवं भविष्य में एन.पी.व्ही. पुनरीक्षित होने पर अतिरिक्त देय राशि के भुगतान हेतु वचन पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्र में FTL-2, FTL-4 एवं FTL-4 के नीचे प्रभावित होने वाले वृक्षों का गोशवारा संलग्न नहीं किया गया है।
8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में वचन पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
9. ऑनलाइन प्रपत्र का भाग–2 वन मंडल अधिकारी एवं भाग–3 मुख्य वन संरक्षक द्वारा ऑनलाइन एवं हार्ड कापी भेजा जाना है अतः इन दोनों प्रपत्रों की प्रति भी संलग्न करें तथा ऑनलाइन भी भेजें।

–2–

DM

अतः प्रस्ताव में पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु मूलतः प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक / एफ–3 / 45 / 2014 / 10–11 / 5 / भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग तुलसी नगर (1250) भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आ्युक्त कमांड क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग, विश्वरमैया भवन, कोलार तिराहे स्थित् वन विभाग के रेस्ट हाऊस के पास, एम.ए.सी.टी. रोड़, भोपाल, मध्यप्रदेश
3. वन मंडल अधिकारी (सा0) वन मंडल उत्तर पन्ना, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालय यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल